



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129745

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21885 वर्ष 2026

आर्यन गौतम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता	:	मनीष कुमार सिंह
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 284 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, पुलिस स्टेशन जानी, जिला मेरठ में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि गैंग चार्ट में दर्शाए गए दो आधार मामलों के आधार पर आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है, जिनमें उसे जमानत मिल चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि गैंग चार्ट में उल्लिखित आधार मामलों के अलावा, आवेदक का तीन अन्य मामलों में भी आपराधिक इतिहास है। इन मामलों में भी आवेदक जमानत पर है। आवेदक 30.05.2026 से जेल में बंद है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि यदि आवेदक को जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत हेतु प्रार्थना का विरोध किया है। हालांकि, उन्होंने आवेदक द्वारा दिए गए आपराधिक इतिहास के स्पष्टीकरण पर कोई प्रतिवाद नहीं किया है।
5. मैंने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर भी विचार किया है।
6. गिरोह चार्ट में उल्लिखित दो आधार मामलों के आधार पर आवेदक को वर्तमान मामले में नामजद किया गया है। आवेदक उक्त मामलों में जमानत पर है। आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त का विधिवत स्पष्टीकरण दिया गया है और आवेदक को पूर्व सिद्धदोष नहीं बताया गया है।
7. मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, और उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक 30.05.2026 से जेल में है, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
8. जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**
9. उपरोक्त मामले अपराध में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक, **आर्यन गौतम** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और दो विश्वसनीय जमानतदारों को, प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:
 - (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
 - (iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और विचारण में सहयोग करेगा।
 - (iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को उसकी जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही इस वचनबंध के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

12. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. ऊपर किए गए संप्रेक्षण केवल इस जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुणदोष पर एक राय के रूप में नहीं माना जाना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026

ए. पांडे